पत्रांकः–वन भूमि–35 / 2022 565(ई०) / प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची–834002

पटना–15, दिनांक 21/07/2022

विषय :– बक्सर एवं रोहतास जिलान्तर्गत विक्रमगंज–डुमराँव (201.665–245.665 कि०मी०) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 41.01 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि बक्सर एवं रोहतास जिलान्तर्गत विक्रमगंज–डुमराँव (201.665–245.665 कि०मी०) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 41.01 हे० भूमि अपयोजन का प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, गया द्वारा समर्पित किया गया है, जिसे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोंपरांत नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

विषयांकित परियोजना में 41.01 हे० वन भूमि का अपयोजन तथा 378 वृक्षों का पातन प्रस्तावित है, जिसकी विवरणी निम्नवत् हैः–

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	कि०मी०	क्षेत्रफल (हे० में)	Translocate किये जाने वाले वृक्षों की संख्या	स्थल पर सुरक्षित बचाये जाने वाले वृक्षों की संख्या	पतित किये जाने वाले वृक्षों की संख्या	वानस्पतिक घनत्व
1	रोहतास	201.665–219.265=17.60	18.87	600	1515	168	0.1 से कम
2	भोजपुर	219.265–240.200=20.935	22.14	522	03	210	0.9
		कुल	**41.01**	**1122**	**1518**	**378**	

परियोजना निर्माण के क्रम में प्रभावित होने वाले 3018 वृक्षों में से 378 वृक्षों का पातन, 1122 वृक्षों का पुनर्स्थापन तथा 1518 वृक्षों को उसी स्थल पर सुरक्षित बचाये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। प्रासंगिक पत्र में अंकित किया गया है कि उन्हीं वृक्षों का पातन प्रस्तावित है, जिनका पुनर्स्थापन विभिन्न कारणों से सम्भव नहीं है।

अपयोजित होने वाली वनभूमि के लिए जिला पदाधिकारी, रोहतास एवं भोजपुर द्वारा FRA, 2006 प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया गया है परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–11–43 / 2013–FC दिनांक–26.02.2019 के आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण–पत्र के ही बिना प्रस्ताव पर स्टेज–1 की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रसारित किया जा रहा है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 41.01 हे0 अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुना 83 हे० अवकृष्ट वन भूमि को रोहतास वन प्रमंडल के रोहतास प्रक्षेत्र अंतर्गत नौहट्टा PF को चिन्हित करते हुए 1,21,31,360/–(एक करोड़ ईक्कीस लाख ईक्तीस हजार तीन सौ साठ रूपये) मात्र प्राक्कलन

वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास से प्राप्त की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

विषयांकित प्रस्ताव में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का अनुशंसा प्रपत्र–II के रूप में एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव की अनुशंसा की गयी है, जिसका अनुमोदन प्रपत्र–III के रूप में एवं नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा की गयी अनुशंसा प्रपत्र IV के रूप में संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. परियोजना में अपयोजित होने वाली 18.87 हे० वन भूमि के लिये रू० 9.57,780 प्रति हे० के दर से रू० 1,80,73,309/– एवं परियोजना में अपयोजित होने वाली 22.14 हे० वन भूमि के लिए रू० 13,57,110/– प्रति हे० के दर से रू० 3,00,46,415/– कुल रू० 4,81,19,724 (चार करोड़ एकासी लाख उनीस हजार सात सौ चौबीस रूपये) मात्र नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 41.01 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये रोहतास वन प्रमंडलन्तर्गत 83.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि नौहट्टा सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 1,21,31,360/–(एक करोड़ इक्कीस लाख एकतीस हजार तीन सौ साठ रूपये) मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अद्यतन मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1272/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह० 19.7.2022

(सुधीर कुमार)

वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–35/2022 565(वि०)/प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक 21/07/2022

प्रतिलिपि :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 19.7.2022

(सुधीर कुमार)

वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–35/2022 565(वि०)/प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक 21/07/2022

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

ह० 19.7.2022

(सुधीर कुमार)

वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

Van Bhumi:- 35/2022

PART-V

(To be filled in by the Secretary Charge of forest Department or by any other authorizes officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon.	The proposed diversion of 41.01 ha. forest land for Rehabilitation and upgrading to Vikramganj-Dumrao Road under Buxer and Rohtas District may be sanctioned subject to the condition/stipulation mentioned in the forwarding letter.

Date:- 19.7.2022

Place:- PATNA

Signature:- Sudhir Kumar

Name of Designation:- अपर सचिव

Official Seal:- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार, पटना